

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679

Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 495 / 36सी.

दिनांक रानीखेत मार्च 02, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।


विषय :- नगरकोटिया से कोठा मोटर मार्ग। (प्रस्ताव संख्या 9043/2015)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो / 12-1 दिनांक 29.12.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	In Column D of Part-I, justification for locating the project in the forest area is not given	In Column D of Part-I, justification for locating the project in the forest area is given and scan copy of Part-I Attached.
2.	Under FRA area has not been mention in the proceeding of District Level Committee meeting as well as FRA Certificate.	Area has been mentioned in the proceeding of District Level Committee meeting.
3.	DC signed FRA Certificate on 04/12/2014 but the Tehsildar put the date as 18/11/2014 under his signature in the same certificate.	Tehsildar is not member of committee. After inspections of site an area Tehsildar recomend the file for approval on the date 18-11-2014
4.	There are 199 trees over 0.495 ha which are proposed to be felled. State Govt. explore alternative alignment to reduce the no. of trees to be felled and submit revised proposal, if necessary.	There is not any alternative alignment to reduce the no of trees.
5.	above shortcomings/discrepancies may be removed.	Yes removed.


(कुन्दन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

वन भूमि का औचित्य

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (1.825किमी.) (0.495है०)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 827/III(2)/06-76(प्रा.आ.)/2005 टी.सी. दिनांक 28.03.2006 के द्वारा 3.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 53.40 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उपरोक्त ग्रामसभाओं को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा तथा जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय स्याल्दे के साथ-साथ रेल हैड रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु स्याल्दे आने-जाने की सुविधा प्राप्त होगी। प्राकृतिक आपदा आने पर ग्रामों में तुरन्त सहायता पहुँचायी जा सकेगी।

अतः उपयुक्त मार्ग हेतु वन पंचायत भूमि 0.477है० बेनाप राज्य वन भूमि 0.018है० इस प्रकार कुल 0.495है० वन भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार 0.495है० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

परियोजना का नाम :-

देघार चिन्तोली मेरु मार्ग के किमी 9.30 से नगर को
नाम स्थान से कोठा गोन तक मेरु मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

तहसील ग्रामवासी जिला

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तराखण्ड में

देघार-चिन्तोली मेरु मार्ग के किमी 9.30 से नगर को परियोजना के निर्माण हेतु (—
हे0 आरक्षित वन भूमि, 1 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.91 हे0, वन पंचायत भूमि
0.477 हे0) अर्थात् कुल 0.498 हे0 वन भूमि का लोपनी विभाग/संस्था के
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03/8/2011 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम देघार-चिन्तोली/मेरु मार्ग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लोपनी विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—

राज द. ग्राम सचिव अधिकारी

सं. 01/11/11

दि. 08.08.2011 (महोदय)

ह0/—

ग्राम प्रधान

राज द. ग्राम सचिव-परपत्र
दि. 08.08.2011 (महोदय)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

92 ALL

प्रपत्र-23.1

दिनांक 03/08/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बेरगल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीधर राम	श्रीधर राम
2	प्रेम राम	प्रेम राम
3	बलवीर राम	बलवीर राम
4	श्रीता देवी	श्रीता देवी
5	लीला देवी	लीला देवी
6	बलराम देवी	बलराम देवी
7	शुद्धा देवी	शुद्धा देवी
8	श्री सिद्ध	श्री सिद्ध
9	बलराम सिंह	बलराम सिंह
10	राज राम	राज राम
11	डोआ देवी	डोआ देवी
12	अदेवी देवी	अदेवी देवी
13	शुद्धा देवी	शुद्धा देवी
14	गोपी देवी	गोपी देवी
15	सुभाष सिंह	सुभाष सिंह
16	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
17	गोपाल राय	गोपाल राय
18	हमरा राम	हमरा राम
19	चमरा राम	चमरा राम
20	रमाराय	रमाराय

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-बरगल
प.स.स. बरगल

लीला देवी

बलराम देवी

शुद्धा देवी

गोपी देवी

अदेवी देवी

सुभाष सिंह

कुन्दन सिंह

गोपाल राय

हमरा राम

चमरा राम

रमाराय

70

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- देवाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किनारे 9 से सारकोटिया समूह स्थान से कोठा जावे तक मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुनवा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रुनवा

उपखण्ड रुनवा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगरकोटिया से कोठा जावे तक
मोटर (रुनवा) हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.018 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.018 हे0
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.036 हे0 वन भूमि) का
कोठा निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुनवा) की दिनांक 18-11-2014 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री रुनवा नवापति उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री N.S. NABIVAL उपजिलाधिकारी उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
- 2- श्री वै.के.सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी सकियासिण (ग्रामोद.) सदस्य
- 3- श्री दशरथ सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सदस्य
- 4- श्री विजय कुमार बी0डी0सी0 क्षेत्र वि0 ख0 रुनवा (ग्रामोद.) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

देवाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किनारे 9 से कोठा जावे तक मोटर मार्ग का निर्माण
परियोजना हेतु 0.036 हे0 वन
भूमि

कोठा निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुनवा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.825 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटियानामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (1.825 किमी.) के निर्माण हेतु 0.495 है० वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी 04/12/14

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत
नगर के विप. से कोठा परियोजना के निर्माण हेतु 0.945...
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
11/05/2014
12/05/14

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date...04.12.2014...at time.....at Almora. in which application claiming rights of (Peepalgawan.....) area measuring 1.620 hect. for the Construction of Basot-ghatti m.p.s. Peepalgawan Band to the Rdg of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

Vm
04/12/14
जिला अधिकारी
अरमोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अरमोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...0.1495...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Dehraat-Chintali motor Road to Nagarhatya to village Kotha motor Road (Purpose for diversion of forest land) in Almora.....district falls within jurisdiction of Almora village(s) in Syalde...Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1495...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

11-014
Tehsildar
तहसीलदार स्यालदे
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
04-12-14

04-12-14
S.D.M.
जिला अधिकारी,
अल्मोड़ा
विश्वारंभ (मल्होत्रा)

04-12-14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

04-12-14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
04/12/14

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ^{0.495} 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलमोड़ा

जिला अधिकारी
बलमोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)